न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)

पीठासीन अधिकारी :– दीनानाथ बब्बल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या –49 / 2024 दायर दिनांक 20.11.2024 GCMS CASE NO-2024/50

सोहनलाल पुत्र पूर्णराम जाति सुथार साकिन 28 पीवीएन हाल चक 1 के एसआर तहसील सूरतगढ़

——अपीलांट

वनाम

1. सतपाल पुत्र ओमप्रकाश अवकाम नायक साकिन पालीवाला तहसील सूरतगढ़
2. संदीप पुत्र ओमप्रकाश अवकाम नायक साकिन पालीवाला तहसील सूरतगढ़
3. शारदा पुत्री ओमप्रकाश अवकाम नायक साकिन पालीवाला तहसील सूरतगढ़
4. जेठी देवी पत्नी श्री सोहनलाल जाति सुथार साकिन 28 पीवीएन हाल चक 1 केएसआर तहसील सूरतगढ़
5. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़

——रेस्पोडेंटस

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित–

1. श्री राजवीर भादू अधिवक्ता अपीलांट
2. पैरोकार राज. रेस्पोडेंट संख्या 5

–::निर्णय::– दिनांक : 17.11.2025

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट की माता भागवन्ती पत्नी ओमप्रकाश के नाम खातेदारी भूमि वाके चक 17 एस टी बी तहसील सूरतगढ़ के खाता सं० 131/288 के प०न० 42/328 में 0.715 है० तथा प०न० 42/329 मु० न० 26 के 0.295 है० कुल तादादी 1.010 है० खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड थी। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ ने अपीलांट को सुने बिना ही अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर उक्त भूमि का विरास्तन इंतकाल रेस्पोडेन्ट नं० 1 ता 3 के नाम दर्ज कर दिया। अपीलान्ट की माता भागवन्ती द्वारा चक 17 एस टी बी तहसील सूरतगढ के खाता सं0 131/288 के प०न0 42/329 मु० न० 26 के किला नं0 2/4 में 0.113 है0 9 में 0.136 है० कुल तादादी 0.249 है० भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ हेतू सपरिवर्तन आवासीय तहसीलदार राजस्व सूरतगढ के द्वारा दिनांक 28–02–2020 को करवाया गया। जिसका उपपंजीयक सूरतगढ़ से दिनांक 13–02–2020 को पंजीयन करवा लिया। इसके पश्चात रेस्पोडेन्ट सं० 1 ता 3 की माता भागवन्ती द्वारा वाके चक 17 एस टी बी तहसील सूरतगढ के खाता सं० 131/288 के प० न० 42/329 मु० न० 26 के किला न0 2/3 में 0.113 है0 9/0.136 है० कुल 0.249 है० भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ सपरिर्वतित भूमि में से 53 फुट ' 50 फुट 2650 वर्गफुट अर्थात 246.282 वर्गमीटर यानि 0.0246 है० तथा 53 फुट 202.76 फुट = 10746.28 वर्गफुट अर्थात 998.724 वर्गमीटर यानि 0.0998 है० कुल 0.1244 है० भूमि जरिये वैयनांमा दिनांक 11.03.2020 अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं० 4 को जरिये पंजीबद्ध बैयनामा द्वारा बेचान कर दिया [illegible] गया। मौके पर चारदीवारी निर्माणशुदा है। इन सभी तथ्यों की जानकारी रेस्पोडे[illegible] 1 [illegible] होने के बावजूद राजस्व कर्मियो से सांठ गांठ करके अपीलान्ट को बिना [illegible] तरीके [illegible] अपीलाधीन रकबा का विरास्तन इन्तकाल मातहत न्यायालय से पारित करवा दिया गया, [illegible] निरस्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2025.11.28 12:36:33 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

907

Scanned with OKEN Scanner

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलांट की ओर से वकील श्री राजवीर भादू हाजिर आये। रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 को भेजे गये सम्मन विधिवत तामील होने के उपरांत भी हाजिर नहीं आने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। रेस्पोडेंट संख्या 5 की ओर से पैरोकार राज हाजिर आये। अधीनस्थ न्यायालय का संबंधित अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर वकील बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने प्रार्थना पर कथन किया कि जैर अपील रकबा अपीलांट द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा द्वारा खरीद किया हुआ है जिससे रकबा पर अपीलांट के हित समाहित है। अपीलांट हितबद्ध पक्षकार है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील अनुमति प्रदान की जावे। रेस्पोडेंट संख्या 5 पैरोकार राज ने उक्त प्रार्थना पत्र कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। पत्रावली में उपलब्ध भागवन्ती द्वारा दिनांक 11.03.2020 को सम्पादित रजिस्टर्ड बैयनामा की फोटोप्रति का अवलोकन करने से पाया कि जैर अपील रकबा भागवंती द्वारा अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 4 को बेचान किया गया है। बैयनामा सम्पांदन उपरांत अपीलांट के बतौर खरीददार अपीलांट के हित निहित हो चुके है। अपीलांट प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार साबित है। अतः अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा अपील अनुमति प्रदान की जाती है।

तत्पश्चात प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद पर बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को जैर अपील इंतकाल की जानकारी दिनांक 21.10.2024 को पटवारी हल्का से मिली। इससे पूर्व अपीलांट को उक्त आदेश की जानकारी नहीं थी। जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। रेस्पोडेंट संख्या 5 पैरोकार राज ने प्रार्थना पत्र पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। पत्रावली का अवलोकन करने से पाया कि अपीलांट प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है, जिन्हे जैर अपील इंतकाल दर्ज करने से पूर्व अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

तत्पश्चात गुणावगुण पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने दौराने बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं प्रस्तुत मूल दस्तावेजात का अवलोकन करवाते हुए जैर अपील इंतकाल विधिविरूद्ध होने के कारण निरस्त करने करने का निवेदन किया।

रेस्पोडेंट संख्या 5 पैरोकार राज ने दौराने बहस राज्यहित को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत मूल दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया। प्रकरण में खातेदार भागवन्ती द्वारा तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ से दिनांक 28.02.2020 को चक 17 एस टी बी तहसील सूरतगढ के खाता सं0 131/288 के प०न0 42/329 मु० न० 26 के किला नं0 2/4 में 0.113 है0 9 में 0.136 है० कुल तादादी 0.249 है० भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ हेतू आवासीय संपरिवर्तन करवाया, जिसका उपपंजीयक सूरतगढ़ से दिनांक 13–02–2020 को पंजीयन भी करवाया गया है। परन्तु उक्त कृषि से अकृषि आवासीय संपरिवर्तन भूमि का ना तो नामांतरण दर्ज हुआ तथा ना ही वर्तमान जमाबंदी संवत 2073–76 में इन्द्राज हुआ। भागवन्ती द्वारा उक्त संपरिर्वतित भूमि में से 53 फुट' 50 फुट 2650 वर्गफुट अर्थात 246.282 वर्गमीटर यानि 0.0246 है० तथा 53 फुट 202.76 फुट कुल 10746.28 वर्गफुट अर्थात 998.724 वर्गमीटर यानि 0.0998 है० कुल 0.1244 है० भूमि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं० 4 को जरिये पंजीबद्ध बैयनामा द्वारा दिनांक 11.03.2020 बेचान कर दी [illegible] भागवंती के हक अधिकार समाप्त हो चुके थे। भागवंती की मृत्यु उपरांत संपरिव[illegible] कृषि भूमि मानते हुए ही कृषि भूमि का विरास्तन इंतकाल दर्ज किया गया है। अतः अधीनस्थ [illegible] का अपीलाधीन इंतकाल त्रुटिपूर्ण पाये जाने से निरस्त करना हम उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2025.11.28 12:36:33 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन इंतकाल यथा तहसील सूरतगढ़ के चक 17 एसटीबी का इंतकाल संख्या 825 स्वीकृत दिनांक 12.05.2022 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आश्य के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि दोनों पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित किरे। उभय पक्ष दिनांक 10.12.2025 को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ के समक्ष उपस्थित होवे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दीनानाथ बब्बल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2025.11.28 12:36:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner